न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
032/2018	**15.10.2018**	**16.07.2021**
(GCMS 2018/00116)		

अनवान

1. हरजी पिता नारायण गवार उम्र वयस्क निवासी सुवानिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. बाबूलाल पिता हरजी गवार उम्र वयस्क निवासी सुवानिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. तेजपाल पिता हरजी गवार उम्र उम्र वयस्क निवासी सुवानिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट्स

बनाम

माधु पिता पेमा भील उम्र 76 वर्ष निवासी सुवानिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेंट

–:: प्रथम अपील रेवेन्यू अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सा0 बेंगू दिनांक 30.04.2018 बमामले प्र0सं0 01/2017 रेवेन्यू मु0 ::–

उपस्थिति :– सत्यनारायण ईनाणी अधिवक्ता अपीलांट्स
एक तरफा रेस्पोडेंट

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार बेंगू बमिसल कमांक 01/2017 निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.04.2018 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 183 'बी' काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कब्जेयाबी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील निम्न आधार बिन्दुओ पर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की और अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही मन–मकसुद निर्णय किया जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट्स को आवेदन की नकल दिलाई जाकर पेशी नहीं दी गई और यह बताया गया कि लोक–अदालत में प्रकरण रखा जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दोनों पक्षो को सुन कर निर्णय किया जायेगा, किन्तु हमें सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और हमारे उपस्थित न होते हुए भी उपस्थिति अंकित कर निर्णय किया गया जो निरस्त होने योग्य है। इस प्रकरण में प्रार्थी की भी कोई साक्ष्य नहीं हुई, जबकि प्रार्थी ने स्वयं ने इसका पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका पर्चा तैयार करते समय यह बताया था कि उसका इस भूमि पर कब्जा काश्त कभी नहीं रहा एवं अपीलांट्स का कब्जा कैसे है, उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। विवादित भूमि से रेस्पोडेन्ट का कोई संबंध नहीं है उसने कभी काश्त नहीं की। भूमि अपीलांट्स के कब्जे व काश्त की है, जो भू–प्रबंध की गलती से रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित हो गई, जिसका नाजायज लाभ उठा कर रेस्पोडेन्ट ने गलत आवेदन प्रस्तुत किया है। अन्य आपतियां बहस के वक्त प्रस्तुत की जावेगी। विपक्षी संख्या 4 से 8 का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। उन्होने स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना कोई कब्जा नहीं होना बताया है, जिससे उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है। निर्णय दिनांक 30.04.2018 को करना बताया गया है जिसकी अपीलांट्स को कोई सूचना व जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स को तो लोक–अदालत में प्रकरण के निस्तारण हेतु कहा गया था और बिना किसी सूचना के गलत रूप से हाजरी दर्ज कर निर्णय कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 14.08.2018 को पेशी की जानकारी करने पर हुई जिस पर उसी दिन आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की और अब कानूनी सलाह कर यह अपील प्रस्तुत कर रहे है जो दिनांक 14.08. 2018 से अवधी में है और दफा 5 कानुन मयाद का आवेदन अलग से प्रस्तुत है और समर्थन में हरजी अपीलान्ट का शपथपत्र प्रस्तुत है। अपील आवश्यक न्यायशुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस के प्रस्तुत है। अतःप्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाई जावे।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 04.01.2019 को रेस्पोडेंट के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से रेस्पोडेंट के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बेंगू के पत्रांक/राजस्व/2021/29 दिनांक 06.01.2021 से उनकी पत्रावली संख्या 001/2017 अनवानी माधु पिता पेमा भील निवासी सुवाणिया बनाम हरजी गंवार वगैराह अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 08.07.2021 को अधिवक्ता अपीलांट हाजिर आयें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि निर्णय दिनांक 30.04.2018 को करना बताया गया है जिसकी अपीलांट्स को कोई सूचना व जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स को तो लोक–अदालत में प्रकरण के निस्तारण हेतु कहा गया था और बिना किसी सूचना के गलत रूप से हाजरी दर्ज कर निर्णय कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 14.08.2018 को पेशी की जानकारी करने पर हुई जिस पर उसी दिन आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की और अब कानूनी सलाह कर यह अपील प्रस्तुत कर रहे है जो दिनांक 14.08.2018 से अवधी में है। न्याय की दृष्टि से भी अपील को मयाद मे ली जाना न्यायोचित है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट की न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते रखने हेतु अवसर चाहा एवं पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में ही नियत की गई एवं आगामी पेशी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश पारित कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 30.04.2018 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। आवेदन की पुष्टि मे हरजी का शपथपत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील मयाद में शुमार फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट में अपनी बहस प्रार्थना पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट के शपथ पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख/पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात किये जाने से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा आदेश दिनांक 30.04.2018 उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को आदेश दिनांक 30.04.2018 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित है एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों से प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारतापूर्ण देखा जाना चाहिऐ ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की और अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही मन–मकसुद निर्णय किया जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट्स को आवेदन की नकल दिलाई जाकर पेशी नहीं दी गई और यह बताया गया कि लोक–अदालत में प्रकरण रखा जाकर दोनों पक्षो को सुन कर निर्णय किया जायेगा, किन्तु हमें सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और हमारे उपस्थित न होते हुए भी उपस्थिति अंकित कर निर्णय किया गया जो निरस्त होने योग्य है। इस प्रकरण में प्रार्थी की भी कोई साक्ष्य नहीं हुई, जबकि प्रार्थी ने स्वयं ने इसका पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका पर्चा तैयार करते समय यह बताया था कि उसका इस भूमि पर कब्जा काश्त कभी नहीं रहा एवं अपीलांट्स का कब्जा कैसे है, उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। विवादित भूमि से रेस्पोडेन्ट का कोई संबंध नहीं है उसने कभी काश्त नहीं की। भूमि अपीलांट्स के कब्जे व काश्त की है, जो भू–प्रबंध की गलती से रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित हो गई, जिसका नाजायज लाभ उठा कर रेस्पोडेन्ट ने गलत आवेदन प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की उक्त विवादित आराजीयात में कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है तथा अपीलांट अपनी पुश्तैनी आराजी को बाप दादाओं के समय से काश्त करता चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स विरुद्ध जो आदेश दिया जो पूर्णतया विधि के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2017 निर्णय दिनांक 30.04.2018 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**’’

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर रहें। हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात का खातेदार रेस्पोडेंट है जिस तथ्य को अपीलांट द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेंट जाति से भील होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183–बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है, जिसमें 1970 की स्थिति देखने की बात कही गयी है, अतः उक्त धारा 183–बी 1970 से पहले के प्रकरणों पर लागू नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात अपीलांट्स के कब्जे में है, जिसे प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को कभी भी कब्जे से बेदखल नही किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे सम्बन्धी तथ्यात्मक बिन्दु पर पूर्ण विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा पुराना होकर काफी पहले का है और चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में संशोधन करके धारा 183–बी जोड़ी गयी है, अतः 1978 से पहले के कब्जाशुदा अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का. अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार है :–

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183–बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत (person or persons entitled to admit trespasser as tenant) था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली "entitled to admit" को विलोपित कर शब्दावली "entitled to eject" प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06.1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदन शीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। उक्त धारा 183–बी में अथवा उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन (statement of Objects and Reasons) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।

अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः–

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।

(3) जिस व्यक्ति के विरूद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति, जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये (A trespasser who has taken or retained possession without lawful authority) है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हल्का पटवारी पटवार हल्का सुवाणिया के रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित आराजीयात आराजी संख्या 165, 166, 167 पर अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अधीलाधीन निर्णय दिनांक 30.04.2018 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियमों के अनुसार निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट जाति से भील होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा आपस में भूमि का हस्तांतरण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रेस्पोडेंट्स कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हस्तगत प्रकरण में निर्विवाद रुप से रेस्पोडेंट/प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जिसकी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर अपीलांट/अप्रार्थीगण काबिज है जो निर्विवाद रुप से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। एक मात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा 2017 में प्रस्तुत धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने की दिनांक से 12 साल की मियाद में है?

इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार बेंगू ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2018 में अपीलांट को अतिक्रमी माना है किन्तु धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित अतिक्रमी में अपीलांट नहीं आतें है। धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अतिक्रमी को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू की पत्रावली में पटवार हल्का सुवाणिया द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 02.05.2017 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट विवादित

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजीयात आराजी संख्या 165, 166, 167 पर काबिज है। एवं अपीलांट्स/अप्रार्थीगण का कब्जा विवादित आराजीयात पर कब्जे का किस आधार पर हुआ है इसकी जानकारी दोनो (प्रार्थी एवं अप्रार्थी) को नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वाद हेतुक उत्पन्न होने की मियाद 12 वर्ष की अवधि के भीतर ही अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा बेदखल हेतु कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक प्रावधानों के अध्यधीन कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह भी तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई एवं उभयपक्ष का समुचित साक्ष्य के अवसर प्रदान किये जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो कि पुष्टि किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार जहां अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.04.2018 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2017 निर्णय दिनांक 30.04.2018 में किसी भी प्रकार विधिक भूल/त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू के निर्णय की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 प्रकरण संख्या 001/2017 अनवानी माधु बनाम हरजी वगैराह अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **16.07.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested